भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1522
दिनांक 10 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

बच्चों का समग्र विकास

1522. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बच्चों के समग्र विकास हेतु मंत्रालय और इसके घटक निकायों द्वारा की गई विभिन्न पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में लाभार्थियों की संख्या, आबंटित निधि और विकसित सुविधाओं के संदर्भ में इन पहलों की प्रगति की राज्य-वार स्थिति क्या है; और
(ग) क्या मंत्रालय ने देश में बच्चों के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के लिए आगामी वर्षों के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : सरकार ने आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण 2.0 और किशोरियों के लिए स्कीम की मौजूदा स्कीमों को नया रूप देते हुए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को मंजूरी दी है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं:

- पोषण के लिए 06 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएलएम) और आकांक्षी जिलों और पूर्वोतर क्षेत्र (एनईआर) में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के माध्यम से पोषण सहायता;
- शुरूआती बचपन की देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और प्रारंभिक स्टिमुलेशन (0-3 वर्ष);
- आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना; और
- पोषण अभियान

सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए बजट 2021-2022 में सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में एक कार्यनीतिक बदलाव के माध्यम से बाल कुपोषण और मातृ कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की ओर ध्यान दिलाना और स्थितियां बनाना और एक अभिसरण इको सिस्टम बनाना है। प्रारंभिक राष्ट्रीय परिवार

स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस-5 के निष्कर्षों से पता चला है कि यह स्कीम बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में कुपोषण के चुनौतीपूर्ण स्तर की स्थिति को दूर करने का प्रयास करती है और पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत भोजन की गुणवत्ता और वितरण का अनुकूलन करती है। यह पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणामों को मजबूत करने का प्रयास करता है, जिसमें ऐसी विकासशील प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो स्वास्थ्य, कल्याण और रोग तथा कुपोषण से प्रतिरक्षा का पोषण करते हैं। प्रशासन में सुधार के लिए पोषण ट्रैकर के तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में पोषण की गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार, वितरण को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कदम उठाए गए हैं। पूरक पोषाहार के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए और पोषाहार परिणामों को ट्रैक करने के लिए 13.01.2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं, आंगनवाड़ी केंद्रों(एडब्ल्यूसी) में नामांकन करने वाले सभी लाभार्थियों के लिए एक सार्वभौमिक स्व-चयन स्कीम है। इस स्कीम के तहत 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं लाभार्थी हैं।स्कीम के तहत पात्र लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से निम्नलिखित छह सेवाएं प्रदान की जाती हैं :

i. पूरक पोषण (एसएनपी)
ii. पूर्व -स्कूल अनौपचारिक शिक्षा,
iii. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा,
iv. टीकाकरण,
v. स्वास्थ्य जांच, और
vi. रेफरल सेवाएं

छह सेवाओं में से तीन अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और एनएचएम और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से दी जाती हैं।

आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत शिक्षा विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पोषण वाटिका सहित बेहतर पोषण वितरण के लिए प्रति वर्ष 2 लाख चयनित आंगनवाड़ी केंद्र(40,000 आंगनवाड़ी केंद्र) को मजबूत और अपग्रेड किया जाएगा। ।

पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सहक्रियाशील और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार लाना है।

06.02.2023 तक पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत श्रेणी-वार लाभार्थी

कुल लाभार्थी	**स्तनपान कराने वाली माताएं**	**गर्भवती माताएं**	**बच्चे 0-6 माह**	**बच्चे 6 माह-3 वर्ष**	**बच्चे 3-6 वर्ष**
100539368	5317719	6796031	4766272	40687106	42972240

पोषण ट्रैकर के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (06.02.2023 तक) **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

31.03.2022 तक पोषण अभियान के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम 'मिशन वात्सल्य'(पूर्व में बाल संरक्षण सेवा(सीपीएस) स्कीम) को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण पैटर्न पर लागू कर रहा है ताकि पूरे देश में कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को सार्वभौमिक रूप से सेवाएं प्रदान की जा सकें। स्कीम के तहत स्थापित चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि का समर्थन करते हैं और ग्रामीण और शहरी दोनों बच्चों को शामिल करते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय नियमित रूप से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ काम करता है और समय-समय पर सेवाओं की निरंतर और निर्बाध डिलीवरी और स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एडवाइजरी और दिशानिर्देश साझा करता है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की संख्या 76,118 है। मिशन वात्सल्य स्कीम को वर्ष 2025-26 तक की मंजूरी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत राज्यवार जारी की गई धनराशि **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

******

अनुलग्नक-I

'बच्चों का समग्र विकास' के संबंध में श्री जी.एम. सिद्धेश्वर द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1522 के उत्तर के भाग(क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

<u>पोषण ट्रैकर के तहत पंजीकृत एसएनपी लाभार्थी</u>

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल लाभार्थी	स्तनपान कराने वाली माताएं	गर्भवती महिलाएं	बच्चे 0-6माह	बच्चे 6माह-3वर्ष	बच्चे 3-6वर्ष
1.	आंध्र प्रदेश	2800615	141149	191270	115707	1235767	1116722
2.	अरुणाचल प्रदेश	56159	1288	1196	1552	23230	28893
3.	असम	3526656	157702	158502	180536	1304945	1724971
4.	बिहार	10202702	374525	607498	322539	3805971	5092169
5.	छत्तीसगढ़	2407965	67221	108062	60622	1011153	1160907
6.	गोवा	78130	5288	4712	5350	35005	27775
7.	गुजरात	3985373	277595	260837	279867	1533777	1633297
8.	हरियाणा	2021235	142321	120203	100653	723013	935045
9.	हिमाचल प्रदेश	535329	38440	38543	36752	220188	201406
10.	झारखंड	3644278	167789	223285	155494	1482132	1615578
11.	कर्नाटक	4214837	170787	285267	151304	1847408	1760071
12.	केरल	2430557	148539	158433	142628	870584	1110373
13.	मध्य प्रदेश	7177687	193781	409097	179411	2908644	3486754
14.	महाराष्ट्र	7548976	442077	424279	412977	2729873	3539770
15.	मणिपुर	299721	11307	11141	12186	110622	154465
16.	मेघालय	443163	18090	11496	21759	159585	232233
17.	मिजोरम	121471	4859	6478	5190	46777	58167
18.	नागालैंड	63400	375	321	437	19589	42678
19.	ओडिशा	4110928	197769	263172	197281	1582269	1870437
20.	पंजाब	1057467	39473	46909	30992	533503	406590
21.	राजस्थान	4810444	353972	358216	252391	2120411	1725454
22.	सिक्किम	35803	2059	1653	1985	13155	16951
23.	तमिलनाडु	3986744	309613	325628	307703	1776256	1267544
24.	तेलंगाना	2197358	131602	171524	127448	946495	820289
25.	त्रिपुरा	355466	16311	20681	16098	131828	170548
26.	उत्तर प्रदेश	21075550	1339956	1848508	1092196	9052455	7742435
27.	उत्तराखंड	794036	43240	49711	33339	377624	290122
28.	पश्चिम बंगाल	8843562	395101	578038	414517	3336713	4119193
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15863	831	842	824	8393	4973
30.	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	34628	3358	4451	3362	13783	9674
31.	दिल्ली	730114	61420	48331	61846	345827	212690
32.	जम्मू और कश्मीर	813632	51781	50346	33828	327937	349740
33.	लद्दाख	19493	885	785	745	8048	9030
34.	लक्षद्वीप	6526	408	517	456	3432	1713
35.	पुदुचेरी	41056	2996	2877	2433	22040	10710
36.	यूटी-चंडीगढ़	52444	3811	3222	3864	18674	22873
	कुल	**100539368**	**5317719**	**6796031**	**4766272**	**40687106**	**42972240**

अनुलग्नक-II

पोषण अभियान के तहत जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण (31.03.2022 तक)

राशि रुपये लाख में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 में जारी केंद्रीय निधि	2018-19 में जारी केंद्रीय निधि	2019-20 में जारी केंद्रीय निधि	2020-21 में जारी केंद्रीय निधि	2021-22 में जारी केंद्रीय निधि	31.03.2022 तक जारी कुल केंद्रीय निधि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	100.22	316.67	307.62	100	518.98	1343.49
2	आंध्र प्रदेश	2572.41	8604.68	13296.52	889.71	0	25363.32
3	अरुणाचल प्रदेश	52.93	1656.73	1006.62	99.6	0	2815.88
4	असम	2298.27	15492.36	14171	987.04	0	32948.67
5	बिहार	6724.06	15341.05	25465	1835.48	0	49365.59
6	चंडीगढ़	158.88	148.3	353	107.2	122.66	890.04
7	छत्तीसगढ़	965.45	9629.51	0	839.58	0	11434.54
8	दादर और नगर हवेली और दमन व दीव	108.83	209.14	878.14	0	0	1196.11
9	दिल्ली	945.95	2206.88	0	174.35	0	3327.18
10	गोवा	238.07	197.78	0	20.19	0	456.04
11	गुजरात	3036.66	11228.03	14863	0	0	29127.69
12	हरियाणा	400.97	5992.46	0	415.39	0	6808.82
13	हिमाचल प्रदेश	5710.41	5185	0	0	0	10895.41
14	जम्मू और कश्मीर	215.76	7278.06	1238.29	492.24	0	9224.35
15	झारखंड	1555.35	5110.45	0	0	0	6665.8
16	कर्नाटक	0	5254.55	7967.39	1054.58	0	14276.52
17	केरल	1273.37	6491.91	0	2679.61	0	10444.89
18	लद्दाख	0	0	0	118.768	0	118.768
19	लक्षद्वीप	60	138.9	126.75	100	0	425.65
20	मध्य प्रदेश	4067.2	33777.17	0	1554.16	0	39398.53
21	महाराष्ट्र	4991.8	20989.8	33061.47	1767.776	0	60810.846
22	मणिपुर	340.46	3865.37	0	184.16	0	4389.99
23	मेघालय	462.98	1713.27	2802.8	94.336	0	5073.386
24	मिजोरम	119.38	957.65	1498	0	753.48	3328.51
25	नागालैंड	163.74	1251.97	2298.17	1550.11	360.12	5624.11
26	ओडिशा	4600.46	10571.65	0	0	12842.35	28014.46
27	पुदुचेरी	39.24	393.7	497	13.68	0	943.62
28	पंजाब	819.51	6090.33	0	0	0	6909.84
29	राजस्थान	4282.22	9680.99	8941	0	0	22904.21
30	सिक्किम	98.59	328.47	923	20.928	0	1370.988
31	तमिलनाडु	1340.51	12210.93	11509	0	0	25060.44
32	तेलंगाना	1736.94	8595.7	7003	571.2	0	17906.84
33	त्रिपुरा	277.91	3695.72	0	162.32	0	4135.95
34	उत्तर प्रदेश	8440.6	29582.87	16166	2779.49	0	56968.96
35	उत्तराखंड	1866.25	4301.57	7086	321.07	0	13574.89
36	पश्चिम बंगाल	5545.27	19294.11	0	1911.7	0	26751.08
कुल		**65610.65**	**267783.73**	**171458.77**	**20844.66**	**14597.59**	**540295.40**

अनुलग्नक-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य योजना (पूर्व बाल संरक्षण सेवा स्कीम) के तहत जारी राशि का राज्यवार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20 के दौरान जारी की गई राशि	2020-21 के दौरान जारी की गई राशि	2021-22 के दौरान जारी की गई राशि
1	आंध्र प्रदेश	1373.53	1827.84	476.46
2	अरुणाचल प्रदेश	1174.11	293.55	487.92
3	असम	3363.95	3159.17	864.69
4	बिहार	1405.39	2203.71	2203.21
5	छत्तीसगढ़	2098.74	2281.81	1870.35
6	गोवा	19.63	129.9	3.43
7	गुजरात	2146.27	2590.93	697.24
8	हरियाणा	2217.99	2391.14	931.24
9	हिमाचल प्रदेश	1607.40	1457.39	1453.90
10	जम्मू और कश्मीर	1225.16	1490.55	1929.69
11	झारखंड	1845.80	1425.26	1248.02
12	कर्नाटक	3290.45	2897.87	4252.11
13	केरल	1519.74	1135.84	607.45
14	मध्य प्रदेश	3052.72	3531.26	3057.44
15	महाराष्ट्र	2449.63	3433.13	5467.46
16	मणिपुर	3102.72	3468.9	3606.76
17	मेघालय	2241.71	2014.36	1005.91
18	मिजोरम	2530.43	2243.71	1957.58
19	नागालैंड	2085.95	2125.64	1842.69
20	ओडिशा	3541.66	3302.54	4019.15
21	पंजाब	722.00	558.41	172.57
22	राजस्थान	3195.88	3221.96	1542.75
23	सिक्किम	662.51	612.81	807.59
24	तमिलनाडु	14915.36	9636.91	7669.71
25	तेलंगाना	1726.38	431.61	3850.65
26	त्रिपुरा	879.61	1075.65	977.46
27	उत्तर प्रदेश	4277.72	5235.63	4553.91
28	उतराखंड	918.58	712.37	507.90
29	पश्चिम बंगाल	2815.10	4375.63	3970.45
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	329.62	282.97	7.50
31	चंडीगढ़	0	169.21	162.83
32	दादरा और नगर हवेली	193.97	55.96	142.98
	दमन और दीव	141.79		
33	दिल्ली	972.86	656.76	794.51
34	लक्षद्वीप	0	0	5.05
35	लद्दाख	0	153.18	126.17
36	पुदुचेरी	501.96	393.97	271.50
	कुल	**74546.32**	**70977.53**	**63546.23**

*****